न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00300

अपीलान्ट

मानाराम पुत्र लादाराम जाति सिरवी(जणवा चौधरी) निवासी निपल तहसील रानी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार रानी(राज.)
2. श्रीमान उप तहसीलदार खिवाडा जिला पाली
3. कन्या पुत्री मांगीलाल
4. पूनाराम पुत्र मांगीलाल
5. रताराम पुत्र मांगीलाल
6. डायाराम पुत्र मांगीलाल
7. प्यारी पुत्री मांगीलाल समस्त जातिगण जणवा चौधरी निवासी निपल तहसील रानी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा

सरकारी पैरोकार उपस्थित।

रेस्पोडेण्टगण संख्या 3,4,5 एवं 7 की ओर से अधिवक्ता श्री विपिन सान्दु।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 14.07.2022

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार रानी द्वारा स्वीकृत ग्राम निपल के नामान्तरकरण संख्या 1008 दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम निपल, पटवार हल्का निपल, तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर नये 230 खसरा नम्बर 775 से लगातार 787 तक व 798,799,800,801 कुल खसरा 17 कुल रकबा 11.42 हैक्टर आई हुई है। जो अपीलाण्ट के पिता एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से 07 के दादा लादाराम की पैतृक कृषि भुमि थी। लादाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि उनके दोनो पुत्र अपीलाण्ट मानाराम व उसके भाई मांगीलाल के नाम की खातेदारी 1/3 हिस्सा की दर्ज की गई उक्त खातेदारी दर्ज होने के बाद अपीलाण्ट के भाई मांगीलाल का देहान्त दिनांक 09.02.2018 को हो जाने से मांगीलाल के वारिसान जो प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से 07 के नाम व अपीलाण्ट के नाम भरा जाना चाहिए था। लेकिन राजस्व

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कर्मचारी ने अपीलाण्ट के भाई मांगीलाल का नाम रेवेन्यु रेकर्ड से न हटा कर अपीलाण्ट का नाम नामान्तरकरण से हटा दिया राजस्व कर्मचारी से बिना तथ्यों की जांच किये जैर अपील म्युटेशन पारित कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। अपीलाण्ट मानाराम जिवित होने के बावजुद भी संबधित हल्का पटवारी ने जैर अपील नामान्तकरण में अपीलाण्ट मानाराम के फौत बता कर नामान्तरकरण पारित करवा दिया जिसकी जांच न तो पटवारी हल्का ने की न ही संबधित भू अभिलेख निरिक्षक ने की एवं न ही संबधित उप तहसीलदार खिवाडा ने किसी प्रकार से तथ्य की जांच किये बगैर जैर अपील नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की प्रथम दृष्टया जानकारी तब हुई जब अपीलाण्ट कॉपरेटिव बैक से ऋण लेने के लिये दिनांक 02.09.2020 को पटवार मण्डल गया जहां रेकर्ड देखने पर पता चला अपीलाण्ट को प्रथम जानकारी दिनांक 02.09.2020 को होने पर अपीलाण्ट ने जैर अपील नामान्तरकरण की नकल दिनांक 07.09.2020 को प्राप्त कर अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जो अपील अन्दर म्याद शुमार मान कर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरवा मांगीलाल पुत्र लादाजी का नाम हटाकर उसकी जगह उसके वारिसान का नाम दर्ज करने के साथ पर अपीलाण्ट का नाम पुर्व स्थिति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण सहवन से मांगीलाल का नाम फौत हो जाने के कारण हटाने के स्थान पर अपीलाण्ट का नाम हटा दिया है। जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर मांगीलाल के विधिक वारिसान एवं अपीलाण्ट के नाम भरा जाता है, तो उन्हें को आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 2018 में दर्ज किया है नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का विन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि ग्राम निपल तहसील रानी के खसरा नम्बर 775 से लगातार 787 तक व 798,799,800,801 कुल खसरा 17 कुल रकबा 11.42 हैक्टर भूमि आई हुई है जो अपीलाण्ट के पिता एंव रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से 7 के दादा लादाराम की पैतक कृषि भूमि है रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से के पिता मांगीलाल का दिनांक 09.02.2018 को फौत हो जाने से फौतेदगी म्युटेशन भरा गया जिसमें संबधित पटवारी हल्का ने बिना जांच किये मांगीलाल की जगह अपीलाण्ट मानाराम को फौत बता कर उसका नाम हटा दिया एंव मांगीलाल के नाम जैर नामान्तरकरण म्युटेशन भर दिया जबकि वास्तविकता में मांगीलाल के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान एवं अपीलाण्ट मानाराम के नाम नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व कार्मिकों ने उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो किसी प्रकार से दस्तावेजों की जाचं की ओर न की न किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया को अपनाये बिना जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्व है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञान होता है कि अपीलाण्ट के भाई मांगीलाल का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

देहान्त 09.02.2018 को हो गया था जिसके विधिक उत्तराधिकारी रेस्पोडेण्ट संख्या 03 से 07 तक है जिसके संबध में ग्राम पंचायत नीपल द्वारा एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 में उप तहसीलदार खिवाडा ने जैर अपील नामान्तरकरण विरासत के आधार पर भरते हुए किसी प्रकार के दस्तावेजों की जांच किये बगैर जैर अपील नामान्तरकरण जारी कर दिया। जिसके संबध में तत्कालिन पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा भी किसी प्रकार की जांच नही की जो घोर लापरवाही का द्योतक है। संबधित राजस्व अधिकारियों ने आनन–फानन में जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज कर दिया उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा स्वीकृत ग्राम नीपल के नामान्तरकरण संख्या 1008 दिनांक 19.06.2018 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रानी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक मांगीलाल के विधिक वारिशान की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर संस्थापन शाखा पाली एवं जिला भू अभिलेख शाखा पाली को प्रेषित कर जैर अपील नामान्तरकरण जारी करते समय तत्कालिन पटवारी हल्का नीपल, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं उप तहसीलदार खिवाडा द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के कारण उक्त कार्मिको के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली